मुकदमों का विवरण

एडीटी एलियास मिथी बनाम।

जितेश शर्मा

(आपराधिक अपील संख्या (एस)।3446 2023 का) 06 नवंबर, 2023

[विक्रम नाथ और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःप्रत्यर्थी-पिता की अपीलार्थी-नाबालिग बेटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के लिए भरण-पोषण ₹20,000/- प्रति माह घटाकर ₹7,500/- प्रति माह कर दिया गया था।

रखरखाव-उच्च न्यायालय ने रखरखाव की राशि को **20,000** रुपये से घटाकर **7,500** रुपये कर दिया है।

आयोजित किया गयाःरखरखाव का भुगतान करने का तरीका।24 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या एस।125 दंड प्रक्रिया संहिता का मूल्यांकन किया जाना है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य, [2020] 13 एससीआर 1093 में अपने प्रसिद्ध निर्णय में विचार किया गया थाःदिशानिर्देश अनुच्छेद 136 आर/डब्ल्यू के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे।भारत के संविधान का अनुच्छेद 142, रखरखाव की कार्यवाही में परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का एक समान प्रारूप निर्धारित करता है-तत्काल मामले में, रिकॉर्ड से कुछ भी स्पष्ट नहीं है या यहां तक कि सुनवाई के समय अपीलार्थी के वकील द्वारा भी इंगित किया गया है कि रजनीश के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा अभियोग का नेतृत्व किया गया था, जिसे जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को आगे प्रसारित करने के लिए सभी उच्च न्यायालय ों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश गूढ़ है और कारणों से रहित है-वही रद्द करने योग्य है और मामला उत्तरदायी है

247

[पैरा 8,14 और 15] 248 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

रजनीश बनाम नेहा और दूसरा, (2021) 2 एस. सी. सी. 324:[2020] 13 एस. सी. आर. 1093-पर निर्भर।

नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी, (2022) 3 एस. सी. सी. 86-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.3446।

2022 के सी. आर. आर. No.4939 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 28.06.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सुश्री प्रगति नीखरा, आदित्य भानु नीखरा, अनिकेत पटेल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

राजेश बिंदल, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. आधिकारिक सीई रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 के अनुसार, प्रतिवादी ने नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, इसलिए, सेवा को पूर्ण माना जाता है।

3. प्रत्यर्थी-पिता की अपीलार्थी-नाबालिग बेटी उच्च न्यायालय 2 द्वारा पारित आदेश 1 से व्यथित है जिसके द्वारा परिवार न्यायालय 4 द्वारा पारित आदेश 3 को संशोधित किया गया था।परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी के लिए ₹20,000/- प्रति माह भरण-पोषण का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा घटाकर ₹7,500/- प्रति माह कर दिया गया था।

1 2022 के आपराधिक संशोधन No.4939 में दिनांकित 28.06.2023 2 ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

3 दिनांक 30.11.2022 4 पारिवारिक न्यायालय , गुना 249

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की माँ और प्रतिवादी के बीच विवाह वर्ष 2008 में संपन्न किया गया था।इस शादी से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई।लड़के की अभिरक्षा प्रत्यर्थी के पास है जबकि अपीलार्थी माँ के साथ रह रहा है।जनवरी 2018 में परिवार न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पति के नेतृत्व में तलाक की याचिका दायर की गई थी।मई 2018 में अपीलार्थी और उसकी माँ-शिखा शर्मा ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आवेदन का नेतृत्व किया।प्रतिवादी-पति के नेतृत्व में तलाक याचिका को परिवार न्यायालय द्वारा 10.09.2022 पर अनुज्ञात गई थी। दिनांक 30.11.2022 के आदेश के माध्यम से, परिवार न्यायालय ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपीलार्थी और उसकी माँ के नेतृत्व में आवेदन को आंशिक रूप से अनुज्ञात और अपीलार्थी-नाबालिग बेटी के लिए प्रति माह ₹20,000/- के रखरखाव का आदेश दिया।पत्नी को किसी भी रखरखाव से इनकार कर दिया गया था।ऑर्डर का जो फाई नाल बन गया।

5. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित गुप्त आदेश के माध्यम से रखरखाव की राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दिया है।सेवा के बावजूद प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना है।वह अपीलार्थी (नाबालिग बेटी) की देखभाल करने के लिए हिचकिचा रहा है, जिसकी उम्र वर्तमान में 6 से 7 वर्ष है।प्रार्थना यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और परिवार न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाए।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है और कागजी पुस्तक का अध्ययन किया है।

7. अपीलार्थी (नाबालिग बेटी) को ₹20,000/- प्रति माह का भरण-पोषण प्रदान करने वाले परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अदालत ने उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार किया था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ संशोधन में दर्ज किया कि पहले प्रत्यर्थी निजी काम कर रहा था और वर्तमान में वह वित्तीय रूप से व्यथित है।

8. जिस तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 दंड प्रक्रिया संहिता 24 या धारा 125 के अंतर्गत देय भरण-पोषण का आकलन किया जाना है, उस पर इस न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा और अन्य, (2021) 2 एस. सी. सी. 324 में अपने प्रसिद्ध निर्णय में विचार किया गया था।विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।यह देखा गया कि रखरखाव की शर्तें पक्षों की दलीलों के आधार पर और कुछ अनुमान कार्य के आधार पर तय की जाती हैं।अक्सर यह देखा जाता है कि दोनों पक्ष बहुत कम सामग्री जमा करते हैं और सही जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं

/

[2023] 14 एस सी आर।

विवरण।पत्नी की प्रवृत्ति अपनी जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की होती है, जबकि पति अपनी वास्तविक आय को छिपाता है।इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने रखरखाव के अनुदान को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया निर्धारित की।विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को संदर्भित किया गया और विभिन्न राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्रतिक्रिया मांगी गई।इस न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण से राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया ताकि पक्षों के नेतृत्व में परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें रखरखाव की कार्यवाही में संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का एक समान प्रारूप निर्धारित किया गया था।निर्णय 04.11.2020 पर दिया गया था।लंबित कार्यवाहियों सहित सभी रखरखाव कार्यवाहियों में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना था।दिए गए निर्देशों को निम्नानुसार निकाला गया हैः

"72. रखरखाव की कार्यवाही में परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के एक समान प्रारूप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक समझता हैः

72.1.(क) इस निर्णय के परिवेष्टन I, II और III में संलग्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का आरोप, जो भी लागू हो, पूरे देश में संबंधित परिवार न्यायालय /जिला न्यायालय /मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित सभी रखरखाव कार्यवाही में पक्षों के नेतृत्व में होगा।

72.2.(ख) रखरखाव के लिए दावा करने वाले आवेदक को परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के साथ एक संक्षिप्त आवेदन दायर करना होगा;

72.3.(ग) प्रत्यर्थी को अधिकतम चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकटीकरण पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करना होगा।न्यायालय प्रत्यर्थी को परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का अधिकार देने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं।यदि प्रत्यर्थी एफ़. आई. डी. ए. वी. टी. के साथ जवाब देने में देरी करता है, और इस उद्देश्य के लिए दो से अधिक स्थगन की मांग करता है, तो न्यायालय प्रत्यर्थी के बचाव को समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग करने पर विचार कर सकती है, यदि आचरण कार्यवाही में देरी करने में जानबूझकर और आपत्तिजनक पाया जाता है।

[कौशल्या बनाम मुकेश जैन (2020) 17 एस. सी. सी. 822:2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1915]।निर्धारित समय के भीतर हलफनामा दायर करने में विफलता पर, परिवार न्यायालय आवेदक के नेतृत्व में हलफनामा और रिकॉर्ड पर दलीलों के आधार पर रखरखाव के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

72.4.(घ) उपरोक्त प्रारूप को संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यदि किसी मामले की आवश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है।इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना संबंधित न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाएगा।

72.5.(ङ) यदि प्रकटीकरण अधिनियम में निहित जानकारी के अलावा, किसी और जानकारी की आवश्यकता है, तो संबंधित न्यायालय उसके संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

72.6.(च) यदि प्रकटीकरण अधिनियम में की गई घोषणा के संबंध में कोई विवाद है, तो पीड़ित पक्ष पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति ले सकता है, और आदेश 11 सी. पी. सी. के अंतर्गत विरोधी पक्ष से प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकता

है। यदि न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो न्यायालय आदेश 10 सी. पी. सी. या साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के प्रावधानों को लागू कर सकता है।एक पक्ष की आय अक्सर दूसरे पति या पत्नी की जानकारी में नहीं होती है।यदि आवश्यक हो तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 लागू कर सकता है, क्योंकि पति या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियां संबंधित पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी में हैं।72.7.(छ) यदि कार्यवाही के दौरान, किसी पक्ष की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है, या किसी प्रासंगिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, या यदि कुछ नई जानकारी सामने आती है, तो पक्षकार एक संशोधित/पूरक हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर न्यायालय द्वारा वित्तीय निर्धारण के समय विचार किया जाएगा।

72.8.(ज) रखरखाव और जवाब के लिए आवेदनों में की गई दलीलें जिम्मेदार दलीलें होनी चाहिए; यदि झूठे बयान और गलत निरूपण किए जाते हैं, तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत और न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर सकती है।72.9.(i) यदि पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ("ईडब्ल्यूएस") से संबंधित हैं, या गरीबी रेखा ("बी. पी. एल".) से नीचे रह रहे हैं, या आकस्मिक मजदूर हैं, तो संबद्ध लिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

/

[2023] 14 एस सी आर।

72.10.(जे) संबंधित पारिवारिक न्यायालय /जिला न्यायालय /मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अदालत के समक्ष प्रकटीकरण के मामलों का नेतृत्व करने के बाद, चार से छह महीने की अवधि के भीतर, एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अंतरिम रखरखाव के लिए आई. ए. पर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए।

72.11.(क) प्रत्येक परिवार न्यायालय में एक पेशेवर विवाह परामर्शदाता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। "

9.रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए थे।नाबालिग बच्चों के रखरखाव के संबंध में पैराग्राफ 91 और 92 में दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे, जो नीचे दिए गए हैं:

"स्थायी गुजारा भत्ता

91. बच्चे के रहन-सहन के खर्च में भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा का खर्च शामिल होगा।बाल सहायता प्रदान करते समय बुनियादी शिक्षा के पूरक के लिए अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं या किसी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए।हालाँकि, यह पाठ्येतर/प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए दी जाने वाली एक

उचित राशि होनी चाहिए, न कि अत्यधिक असाधारण राशि जिसका दावा किया जा सकता है।

92. बच्चों की शिक्षा का खर्च आम तौर पर पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिए।यदि पत्नी काम कर रही है और पर्याप्त कमाई कर रही है, तो खर्चों को पक्षों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जा सकता है। "

10.गैर-कृषि प्रतिनिधियों, कृषि प्रतिनिधियों और मेघालय राज्य में रहने वाले पक्षों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के लिए उपरोक्त निर्णय के एनक्लोजर-I से एनक्लोजर-III के संदर्भ में एफ़ी डेविट्स के प्रारूपों की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए हैं:

"क्लोज़र I

गैर-आदिवासी प्रतिनिधियों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों का संबंध

मैं _____, d/o _____ या s/o _____, लगभग _____ वर्ष की आयु का, _____ का निवासी, इसके द्वारा गंभीरता से स्वीकार करता हूँ और निम्नानुसार घोषित करता हूँ:

A. व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम -

253

आदि आलिया मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे.] 254

2. आयु/लिंग:

3. योग्यता (शैक्षिक और व्यावसायिक):

4. चाहे आवेदक वैवाहिक घर/माता-पिता के घर/अलग निवास में रह रहा हो।कृपया वैवाहिक घर या निवास स्थान का वर्तमान आवासीय पता और निवास के स्वामित्व का विवरण प्रदान करें, यदि परिवार के अन्य सदस्य के स्वामित्व में है।

5. शादी की तारीख:

6. अलग होने की तारीख:

7. आवेदक के सामान्य मासिक खर्च (किराया, घरेलू खर्च, चिकित्सा बिल, परिवहन, आदि):

ख. भुगतान की जा रही कानूनी कार्यवाही और रखरखाव का विवरण

1. आवेदक और गैर-आवेदक के बीच रखरखाव या बाल सहायता के संबंध में किसी भी चल रही या पिछली कानूनी कार्यवाही का विवरण।

2. क्या डी. वी. अधिनियम, सी. आर. पी. सी., एच. एम. ए., एच. ए. एम. ए. आदि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही में कोई रखरखाव प्रदान किया गया है।?यदि हाँ, तो कार्यवाही में दिए गए रखरखाव की मात्रा का विवरण प्रदान करें।

3. यदि ऐसा है, तो पारित आदेश की एक प्रति के साथ उसका विवरण प्रदान करें।

4. क्या पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में पारित रखरखाव के आदेश का पालन किया गया है।यदि नहीं, तो रखरखाव का बकाया।

5. क्या रखरखाव के लिए कोई स्वैच्छिक योगदान किया गया है/भविष्य में किया जाएगा? यदि हां, तो उसी का विवरण प्रदान करें।

ग. आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण

1. आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण, यदि कोई हो।(क) आश्रितों के साथ संबंधः

/

[2023] 14 एस सी आर।

(ख) आश्रितों की आयु और लिंगः

2. यदि आश्रितों की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है, जिसमें ब्याज आय, संपत्ति, पेंशन, ऐसी किसी भी आय पर कर देयता और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं, तो उसका खुलासा करें।3. आश्रित के कारण होने वाले अनुमानित खर्च।

घ. प्रतिनिधि और/या आश्रित परिवार के सदस्यों का चिकित्सा विवरण यदि कोई हो

1. चाहे कोई भी पक्ष या बच्चा/बच्चे किसी भी शारीरिक/मानसिक अक्षमता, या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हों।यदि हाँ, तो चिकित्सा अभिलेख प्रस्तुत करें।

2. क्या परिवार के किसी आश्रित सदस्य को गंभीर विकलांगता है, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा व्यय की आवश्यकता होती है।यदि हां, तो विकलांगता प्रमाण पत्र और ऐसे चिकित्सा उपचार पर अनुमानित चिकित्सा व्यय प्रस्तुत करें।

3. चाहे कोई भी पक्ष या बच्चा/बच्चे या परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हो, जिसके लिए महंगा और नियमित चिकित्सा खर्च करना पड़ता है?यदि हां, तो अस्पताल में भर्ती होने/किए गए चिकित्सा खर्चों के पिछले विवरण के सारांश के साथ इसका विवरण प्रदान करें।

ई. पार्टियों के बच्चों का विवरण

1. मौजूदा विवाह/वैवाहिक संबंध/पिछली शादी से बच्चों की संख्या।

2. बच्चों का नाम और उम्र।

3. माता-पिता का विवरण जिनके पास बच्चों का संरक्षण है।4. आश्रित बच्चों के रखरखाव के लिए व्यय।(क) भोजन, कपड़े और चिकित्सा खर्चों के लिए।

(ख) शिक्षा के लिए खर्च और सामान्य खर्चों का सारांश।

255

आदि आलिया मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे.] 256

(ग) आश्रित बच्चों के किसी भी अतिरिक्त शैक्षिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक/शैक्षिक पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण या विशेष कौशल कार्यक्रम के खर्च, यदि कोई हो, के लिए।(घ) बच्चों के किसी भी शैक्षिक खर्च के कारण किसी भी ऋण, बंधक, किए गए शुल्क या किश्त योजना (भुगतान या देय), यदि कोई हो, का विवरण।

5. क्या इन शैक्षिक खर्चों के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई स्वैच्छिक योगदान दिया जा रहा है?यदि हां, तो उसी का विवरण प्रदान करें।किसी भी अतिरिक्त योगदान का अनुमान भी दें जिसकी आवश्यकता हो सकती है।

6. क्या बच्चों के शैक्षिक खर्चों के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है?

एफ. अभिदाता की आय का विवरण

1. नियोक्ता का नाम -

2. पदनामः

3. मासिक आयः

4. यदि सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, तो नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र या वर्तमान वेतन पर्ची या बैंक खाते में जमा का प्रमाण प्रस्तुत करें, यदि नियोक्ता द्वारा सीधे प्रेषित किया जा रहा है।

5. यदि निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पदनाम और सकल मासिक आय को बताते हुए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र और वर्तमान रोजगार की प्रासंगिक अवधि के लिए फॉर्म 16 प्रस्तुत करें।

6. यदि वर्तमान रोजगार के दौरान नियोक्ता द्वारा कोई अनुलाभ, लाभ, घर का किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, महँगाई भत्ता या कोई अन्य सेवा लाभ प्रदान किया जा रहा है।

7. क्या इसका निर्धारण आयकर में किया जाता है?यदि हां, तो नीचे दी गई अवधि के लिए आयकर विवरणी की प्रतियां जमा करें।

((i) शादी से एक साल पहले

/

[2023] 14 एस सी आर।

((ii) अलग होने से एक साल पहले

(iii) उस समय जब रखरखाव के लिए आवेदन किया जाता है

8. अन्य स्रोतों से आय, जैसे किराया, ब्याज, शेयर, लाभांश, पूंजीगत लाभ, एफ. डी. आर., पोस्ट ऑफिस जमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डिबेंचर, कृषि या व्यवसाय, यदि कोई हो, ऐसी किसी भी आय के संबंध में टी. डी. एस. के साथ।

9. पिछले 3 वर्षों के सभी खातों के बैंक विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें।

जी. निक्षेपक के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ (चल और अचल)

1. स्व-अर्जित संपत्ति, यदि कोई हो तोः

2. विवाह के बाद पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँः3. किसी भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारीः

4. पक्षों की अन्य संयुक्त संपत्तियाँ (खाते/निवेश/एफ. डी. आर./म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डिबेंचर, आदि), उनका मूल्य और कब्जे की स्थितिः

5. अचल संपत्ति के कब्जे की स्थिति और किराए का विवरण, यदि पट्टे पर दिया गया हैः

6. अभिदाता द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों का विवरणः

7. विवाह के दौरान/बाद में प्राप्त किए गए आभूषणों और पार्टियों के आभूषणों का संक्षिप्त विवरणः

8. विवाह के निर्वाह के दौरान निष्पादित हस्तांतरण विलेखों या आवेदक के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अलगाव के लेनदेन का विवरण।ऐसी बिक्री या लेन-देन, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारण भी बताएँ।

एच. प्रतिपादक की देनदारियों का विवरण

1. ऋण, देनदारियाँ, बंधक, या डिपोनेंट के खिलाफ बकाया शुल्क, यदि कोई हो।

2. भुगतान की जा रही किसी भी ई. एम. आई. का विवरण।

257

आदि आलिया मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे.] 258

3. ऋण लेने या ऐसी कोई देनदारी लेने की तारीख और उद्देश्यः

4. उधार ली गई वास्तविक राशि, यदि कोई हो, और एफ़. आई. डी. एफ़. आई. डी. आई. टी. की तारीख तक भुगतान की गई राशिः

5. कोई अन्य जानकारी जो डिपोनेंट की वर्तमान देनदारियों का वर्णन करने के लिए प्रासंगिक होगी।

I. स्व-नियोजित व्यक्ति/पेशेवर/व्यवसायी व्यक्ति/उद्यमी

1. व्यवसाय/पेशा/व्यवसाय/स्व-नियोजित/कार्य गतिविधि की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण।

2. क्या व्यवसाय/पेशा/स्व-रोजगार एक व्यक्ति, एकल स्वामित्व चिंता, साझेदारी चिंता, एलएलपी, कंपनी या व्यक्तियों का संघ, एचयूएफ, संयुक्त परिवार व्यवसाय या किसी अन्य रूप में किया जाता है?साझेदारी/व्यवसाय/पेशेवर संघ/स्व-रोजगार में आवेदक के हिस्से का विवरण दें।साझेदारी के मामले में, साझेदारी के लाभ/हानि में हिस्सेदारी निर्दिष्ट करें।

3. व्यवसाय/पेशा/साझेदारी/स्व-रोजगार से शुद्ध आय।

4. ऐसी गतिविधि के मामले में व्यवसाय/साझेदारी/स्व-रोजगार देनदारियां, यदि कोई हों।

5. कंपनी के व्यवसाय के मामले में, उस कंपनी के लाभ और हानि को इंगित करने के लिए अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें जिसमें ऐसा पक्ष कंपनी में व्यवसाय कर रहा है।6. साझेदारी के मामले में, साझेदारी के अंतिम आयकर विवरण का विवरण प्रदान करें।

7. स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, ऐसी किसी भी पेशेवर/व्यवसाय/व्यावसायिक गतिविधि से अंतिम आयकर विवरणी प्रदान करें।

जे. अन्य पति या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियों के संबंध में प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी

/

1. दूसरे पति या पत्नी की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएँः

2. क्या जीवनसाथी कमाई कर रहा है?यदि ऐसा है, तो जीवनसाथी के व्यवसाय और आय का विवरण दें।

3. यदि नहीं, तो क्या वह अपने आवास में रह रहा है, या किराए के आवास में या नियोक्ता/व्यवसाय/साझेदारी द्वारा प्रदान किए गए आवास में रह रहा है?

4. पति या पत्नी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, जैसा कि प्रतिनिधि को ज्ञात है, किसी भी सहायक दस्तावेज के साथ।

के. आवेदक या अन्य जीवनसाथी का विवरण, यदि पक्ष अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक, विदेशी नागरिक या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं

1. नागरिकता, राष्ट्रीयता और वर्तमान निवास स्थान का विवरण, यदि आवेदक या अन्य पति या पत्नी भारत के बाहर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रह रहे हैं।

2. ऐसे आवेदक/पति या पत्नी के वर्तमान रोजगार और विदेशी मुद्रा में नवीनतम आय का विवरण, रोजगार पत्र या विदेशी नियोक्ता या विदेशी संस्थान या नवीनतम प्रासंगिक बैंक विवरण के माध्यम से ऐसे विदेशी नियोक्ता या विदेशी संस्थान से रोजगार और आय के प्रासंगिक प्रलेखन द्वारा विधिवत समर्थित है।3. विदेशी क्षेत्राधिकार में ऐसे आवेदक/पति/पत्नी के घरेलू और अन्य खर्चों का विवरण।

4. विदेशी क्षेत्राधिकार में आवेदक/अन्य जीवनसाथी के कर दायित्व का विवरण।

5. भारत/विदेशी क्षेत्राधिकार में अन्य स्रोतों से आवेदक/अन्य जीवनसाथी की आय का विवरण।

6. पति-पत्नी के रखरखाव, बच्चे की सहायता या किसी अन्य शैक्षिक खर्च, जीवनसाथी या बच्चों के चिकित्सा उपचार के कारण किए गए खर्चों या योगदान का विवरण।

7. खर्चों या देनदारियों का कोई अन्य प्रासंगिक विवरण, जो उपरोक्त किसी भी शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है और भारत या विदेश में किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के लिए कोई अन्य देनदारियां।

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण और सटीक खुलासा किया है।मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे पास इस हलफनामे में बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियां नहीं हैं।

2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस संबंध में शामिल किसी भी अन्य जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में इस न्यायालय को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं।3. मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना होने के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के साथ पठित धारा 199 के अंतर्गत सात साल तक के कारावास और दंडनीय, और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अंतर्गत दो साल तक के कारावास और दंडनीय दंडनीय अपराध भी हो सकता है।मैंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,199 और 209 को पढ़ा और समझा है।

विभाग

सत्यापन कैटायन

इस _____
_____
_____
_____
_____मैं आगे यह सत्यापित करता हूं कि एफ. आई. डेविट के साथ दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं।

विभाग

एनक्लोजर **II**

कृषि प्रतिनिधियों के लिए एफ़ी दावित **(**कृषि**)** के लिए विवरण

/

[2023] 14 एस सी आर।

1. स्वामित्व वाली ग्रामीण भूमि (भूमि) का कुल विस्तार, या उसी भूमि में विशिष्ट हिस्सेदारीः

2. स्वामित्व दिखाने के लिए जामबंदी/उत्परिवर्तन।3. पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि का स्थान।
4. भूमि की प्रकृतिःचाहे गीली भूमि हो या सूखी भूमि।

5. चाहे ऐसी भूमि कृषि भूमि हो या गैर-कृषि भूमिः6. कृषि/बागवानी की प्रकृतिः

7. वर्ष के दौरान उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृतिः

8. यदि ग्रामीण भूमि खेती योग्य नहीं है, तो क्या उसका उपयोग व्यवसाय, पट्टे पर देने या अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा हैः

9. भूमि से पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न आय।

10. क्या कोई भूमि पट्टे पर ली गई है (या संबंधित अधिकार क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र में पट्टे के लिए उपयोग की जाने वाली कोई अन्य शब्द जहां ग्रामीण/कृषि भूमि स्थित है)।

11. (क) क्या भैंस, गाय, बकरी, मवेशी, मुर्गी पालन, फी शेरी, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि जैसे किसी भी पशु का मालिक उसकी संख्या और उससे उत्पन्न आय है?

(ख) चाहे वह डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या किसी अन्य पशुधन गतिविधि में लगे हों।

12. भूमि के विरुद्ध प्राप्त ऋण, यदि कोई हो।ऐसे ऋणों का विवरण दें।

13. आय का कोई अन्य स्रोतः14. देनदारियाँ, यदि कोई हों।

15. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारीः

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण और सटीक खुलासा किया है।मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे पास इस हलफनामे में बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियां नहीं हैं।

261

आदि आलिया मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे.] 262

2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस संबंध में शामिल किसी भी अन्य जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में इस न्यायालय को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं।

3. मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना होने के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के साथ पढ़ा जा सकता है, जो सात साल तक के कारावास और दंडनीय है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अंतर्गत दो साल तक के कारावास और दंडनीय है। मैंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,199 और 209 को पढ़ा और समझा है।

विभाग

सत्यापन कैटायन

इस _____
_____
_____
_____
_____ मैं आगे यह सत्यापित करता हूं कि एफ़ी डेविट के साथ दस्तावेजों की प्रतियाँ मूल की प्रतियाँ हैं।

विभाग

परिसंपत्ति **III**

मेघालय राज्य के लिए एफ़ी डेविट

1. चाहे वह महिला परिवार की सबसे छोटी बेटी हो।2. क्या महिला अपने पति के साथ अपनी पारिवारिक संपत्ति में रह रही है।

3. क्या उसका कोई मामा है, जो उनके पारिवारिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वैवाहिक विवादों का निपटान शामिल है।स्त्री को अपने वंश और वंश का भी खुलासा करना चाहिए।

4. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके बच्चों ने उसकी माँ का उपनाम अपनाया है, क्योंकि खासी को "एक व्यक्ति जो अपनी माँ का उपनाम अपनाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

5. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसे अपने कबीले या परिवार के सदस्य से कोई वित्तीय सहायता मिलती है।

6. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके माता-पिता जीवित हैं, उसकी माँ और उसके कितने भाई-बहन हैं।

7. यदि कोई महिला सबसे छोटी बेटी नहीं है, तो उसे यह खुलासा करना होगा कि सबसे छोटी बेटी कौन है।

8. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके पास कोई चल या कोई अचल संपत्ति है, जो उसके कबीले से स्व-अर्जित या विरासत में मिली है।9. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसकी शादी आदिवासी या गैर-आदिवासी से हुई है।

उपरोक्त प्रारूप को संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित या अनुकूलित किया जा सकता है, जैसा कि उचित माना जा सकता है।

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण और सटीक खुलासा किया है।मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मेरे पास इस शपथ पत्र में बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियाँ नहीं हैं।

2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस संबंध में शामिल किसी भी अन्य जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में इस न्यायालय को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं।

3. मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना होने के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के साथ पठित धारा 199 के अंतर्गत सात साल तक के कारावास और दंडनीय, और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के

अंतर्गत दो साल तक के कारावास और दंडनीय दंडनीय अपराध भी हो सकता है।मैंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,199 और 209 को पढ़ा और समझा है।

विभाग

सत्यापन कैटायन

इस _____
_____
_____
_____

एडीटी एलियास मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे.] 264

इससे कुछ भी सामग्री नहीं छिपाई गई है, जबकि मेरे जीवनसाथी की संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित उपरोक्त हलफनामे की सामग्री रिकॉर्ड के आधार पर सही मानी जाने वाली जानकारी पर आधारित है।मैं आगे यह सत्यापित करता हूं कि एफ़ी डेविट के साथ दस्तावेजों की प्रतियाँ मूल की प्रतियाँ हैं।

विभाग "11. कृषि और गैर-कृषि प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग एफ़ी डेविट प्रदान किए गए थे क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों से पूरी तरह से अलग हैं।मेघालय राज्य के विशेष दर्जे को देखते हुए राज्य के निवासियों के लिए एफ़ी दावित का अलग प्रारूप प्रदान किया गया है।यह मुख्य रूप से एक आदिवासी क्षेत्र है और समाज की मातृवंशीय प्रणाली का पालन करता है।

12. नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी, (2022) 3

एस. सी. सी. 86, इस न्यायालय ने निचली न्यायालय ों द्वारा दिए गए तलाक के फरमान को बरकरार रखते हुए कहा कि तलाक के बाद भी, पति वयस्क होने तक बच्चे/बेटे को बनाए रखने के अपने दायित्व और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है।पति और पत्नी के बीच विवाद में, बच्चे को पर्याप्त नहीं बनाया जाना चाहिए।इसके प्रासंगिक पैरा 6 को नीचे निकाला गया हैः

“6. हालाँकि, साथ ही, प्रतिवादी पति को अपने बेटे प्रणव को तब तक बनाए रखने के दायित्व और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता।पति और पत्नी के बीच जो भी विवाद हो, एक बच्चे को पर्याप्त नहीं बनाया जाना चाहिए।बच्चे का पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी तब तक जारी रहती है जब तक कि बच्चा/बेटा वयस्क नहीं हो जाता।इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि पुत्र प्रणव को अपने पिता की स्थिति के अनुसार बनाए रखने का अधिकार है।बताया जाता है कि माँ कुछ भी नहीं कमा रही है।वह जयपुर में अपने माता-पिता के घर पर रह रही हैं।इसलिए, उसके बेटे के भरण-पोषण के लिए उसकी शिक्षा आदि सहित एक

उचित/पर्याप्त राशि की आवश्यकता होती है, जिसका भुगतान प्रत्यर्थी पति द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे अपीलार्थी पत्नी और प्रत्यर्थी पति के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री कुछ भी हो। सेना के अधिकारियों द्वारा 15-11-2012 पर पारित आदेश के अनुसार भुगतान की जा रही राशि को भी प्रतिवादी पति द्वारा दिसंबर 2019 से रोक दिया गया है।" (जोर दिया गया)

/

[2023] 14 एस सी आर।

हालांकि, एक मामले में, जहां पत्नी की कमाई भी अच्छी है, उस कारक को हमेशा माना जा सकता है क्योंकि संयुक्त पालन-पोषण हमेशा बच्चे के पालन-पोषण के लिए सबसे अच्छा होता है।मूल उद्देश्य बच्चे का कल्याण है।13. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी को दिए गए भरण-पोषण की राशि को 20,000/- रुपये से घटाकर 7,500/- रुपये प्रति माह कर दिया गया था, केवल यह देखते हुए कि पहले, प्रतिवादी व्यवसाय में था।हालाँकि, उस समय वह कर्ज में था और आर्थिक संकट में था, इसलिए नाबालिग बेटी को बड़ी मात्रा में भरण-पोषण का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए रुख को उचित ठहराने के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है।परिवार न्यायालय ने कारण बताते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था।

14. अभिलेख से कुछ भी स्पष्ट नहीं है या सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह भी इंगित नहीं किया गया है कि रजनीश के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा एफ़ी दावित का नेतृत्व किया गया था, जिसे जागरूकता और कार्यान्वयन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को आगे प्रसारित करने के लिए सभी उच्च न्यायालय ों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था।हाथ में मामला अलग-थलग नहीं है। उपरोक्त निर्णय की घोषणा के बाद भी, यह न्यायालय अभी भी पक्षकारों के नेतृत्व में अभिलेख पर कोई समझौता किए बिना, अंतरिम या वित्तीय रखरखाव के तहत अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों की संख्या का पता लगा रहा है।जाहिरा तौर पर, संबंधित अधिकारी रखरखाव के अनुदान से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान देने में विफल रहे हैं।विशेष विवाह अधिनियम, 1954, धारा 125, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रखरखाव के अनुदान के लिए समवर्ती उपचार उपलब्ध होने पर अदालतों के बीच अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे और रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड, जिस तारीख से रखरखाव दिया जाना है, अंतरिम रखरखाव के भुगतान सहित रखरखाव के आदेशों को लागू करना।नतीजतन, मुकदमे के स्तर पर बंद होने वाले मुकदमे को इस न्यायालय में ले जाया जाता है और पक्षकार मुकदमा करने के लिए मजबूर होते हैं।

15. जैसा कि हाथ में मामले में है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश गुप्त है और कारणों से रहित है।हमारी राय में, इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और मामला 265 के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

आदि आलिया मिथी बनाम जितेश शर्मा [राजेश बिंदल, जे।]

नए सिरे से विचार करें।तदनुसार आदेश दिया।चूँकि प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय उस तारीख को उसकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी कर सकता है जिस तारीख को उसे नियुक्त किया गया था।

16. हाथ में मामले के तथ्यों और रजनीश के मामले (उपरोक्त) में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले इस न्यायालय के समक्ष आने वाले अन्य समान मामलों को ध्यान में रखते हुए, हम इस न्यायालय के महासचिव को निर्देश देना उचित समझते हैं कि वे उपरोक्त निर्णय को न केवल संबंधित उच्च न्यायालय ों के माध्यम से सभी न्यायिक अधिकारियों को बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों को भी फिर से प्रसारित करें, जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भी ध्यान दिया जाए।तदनुसार आदेश दिया।17. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान